न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 36/2019

अपीलांट–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
संजय कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. राजमल पुत्र शंकरलाल 3. शांतिदेवी पत्नी शंकरलाल 4. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी बेरीवाला तला, रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 32 दिनांक 11.06.1992 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री बांकाराम चौधरी, रेस्पोडेंट सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बेरीवाला तला के नामान्तरकरण सं. 32 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 11.06.1992 के विरूद्ध दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बेरीवाला तला के खसरा नम्बर 1312/1 रकबा 12–01 बीघा भूमि शंकरलाल पुत्र राणामल कौम ओसवाल साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदार शंकरलाल के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 32 में मृतक शंकरलाल के वारीस के रूप में राजमल, सोहनलाल पि0 शंकरलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

शान्ति बेवा शंकरलाल, ओसवाल सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 11.06.1992 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा बेरीवाला तला के खसरा नम्बर 1312/1 रकबा 12–01 बीघा भूमि शंकरलाल पुत्र राणामल ओसवाल साकिन देह के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार शंकरलाल के फोत होने पर उनके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 32 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम संजय कुमार के स्थान पर सोहनलाल गलत दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अर्सा 20 दिन पूर्व जब हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि के लिये केसीसी लेने के लिए जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं बैंक में ऋण आवेदन करने उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण सं. 32 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 01.07.2019 को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना अपीलांट की जांच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधा नहीं हैं। इसके बावजूद भी विधि की आवश्यकता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट का वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा बेरीवाला तला के खसरा नम्बर 1312/1 रकबा 12–01 बीघा भूमि शंकरलाल पुत्र राणामल कौम ओसवाल साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार शंकरलाल के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 32 में मृतक शंकरलाल के वारीस के रूप में राजमल, सोहनलाल पि0 शंकरलाल, शान्ति बेवा शंकरलाल, ओसवाल सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 11.06.1992 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का कथन हैं कि उसका वास्तविक नाम संजय कुमार हैं जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना जांच एवं पूछताछ के अपनी मनमर्जी से सोहनलाल लिख दिया हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में उसके अशुद्ध नाम अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कठिनाई आ रही हैं। अपीलांट ने अपनी पहचान के दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक खाता पास बुक इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट स्व0 शंकरलाल के वास्तविक वारीस पुत्र हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्भाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं ... विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ... अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर गादान के स्वीकृत नामान्तरकरण सं.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

32 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक शंकरलाल के वास्तविक वारीसान में अपीलांट के वास्तविक नाम की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested